

न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र

मु.न. 10/2023

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास
बनाम

शांति पत्नी घीसाराम जाति मेघवाल निवासी बहादुरवास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू

— अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश

दिनांक 23.08.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम बहादुरवास के भूमि ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है. किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.02 हैक्टर पर शांति पत्नी घीसाराम जाति मेघवाल निवासी बहादुरवास ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि मुझे ग्राम पंचायत हनुमानपुरा के द्वारा 24.03.91 के द्वारा पट्टा दिया गया है और उस समय से ही मैं प्रदत् पट्टे के अनुसार ही मैं काबिज हूं। मुझे इस जमीन का 12.10.78 को तत्कालीन सरपंच श्री रेख सिंह दूलड़ के द्वारा भी पट्टा दिया हुआ है। मुझे इस प्लॉट में इंदिरा आवास भी ग्राम पंचायत बहादुरवास द्वारा आवास निर्मित करवा के दिया है। मैं भूमिहीन भी हूं, इस प्लॉट के अलावा अन्य कोई जमीन नहीं हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे की जांच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.08.2023 में अंकित किया कि राजस्व रिकॉर्ड एवं ग्राम पंचायत हनुमानपुरा के रिकॉर्ड से जांच करने पर पाया कि किसी भी सनद पट्टे का राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद नहीं है और न ही ग्राम पंचायत हनुमानपुरा द्वारा जारी पट्टों की पत्रावली ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह/जोहड़ पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन चारागाह है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है. गै.मु. चारागाह में से 0.02 है. पर पक्का निर्माण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 11/-रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावे। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि चारागाह भूमि पर बने पक्के निर्माण को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
तहसीलदार



पृष्ठ संख्या 22 पर राशि
रु. वर्ष 21-22 में मांग कायम

तहसील राजस्व लेखाकार